

धारा (4) (1) ख (xiv)

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।



सम्प्रति ऐसी व्यवस्था कार्यान्वित नहीं है।

